राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः स. 3–2 (11) स्था /अभि/17/3188-3248 दिनांकः– 31/03/2023

आदेश

सहायक अभियोजन अधिकारी की भर्ती परीक्षा वर्ष 2015 की आरक्षित सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से पत्र क्रमांक एफ. 7 (25) भर्ती "क"/APO (Non-TSP)2013–14/33 दिनांक 23.05.2019 के द्वारा प्राप्त हुयी, जिसके संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 15265–15279/2019 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम घनश्याम खटीक व अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 की अनुपालना में अभियोजन निदेशालय में गठित विभागीय समिति की अनुशंषा पर राजस्थान सेवा नियम 1978 के नियम 24 के अन्तर्गत नीचे आदेश में स्थित तालिका में वर्णित अभ्याथियों को निम्न शर्तो पर नियुक्ति प्रदान की जाती है:–

1. चयनित अभ्यर्थियों को राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के नियम 26(1) में नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी को दो वर्ष का परीविक्षा काल होगा।
2. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणाधीन अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 12(6) एफडी/रूल्स/05 दिंनाक 13.03.06, 6(6)एफडी/रूल्स/05 दिंनाक 13.03.06, 1(2) एफडी/रूल्स/06 दिंनाक 13.03.06, 13(1)एफडी/रूल्स/03 दिंनाक 13.03.06, एंव राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 दिंनाक 30.10.17 एंव संशोधित आदेश दिंनाक 09.12.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक रूपये 26500/– (Fixed Remuneration) प्रतिमाह के हकदार होगें, इसके अतिरिक्त विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं एडहोक बोनस इत्यादि देय नहीं होगें।
3. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिंनाक 20.01.06 एंव वित्त नियम विभाग की अधिसूचना क्रंमाक प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिंनाक 30.10.17 एंव 09.12.2017 के अनुसार 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) अवधि में सेवाये सन्तोषजनक पाये जाने की दशा में पे–मेट्रिक्स लेवल संख्या–11 में नियमानुसार वेतन एवं उस पर अन्य भत्ते स्वीकृत किये जावेगें।
4. परिवीक्षा अवधि में राज्य बीमा अंशदान की कटौति नहीं की जावेगी। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो के अनुसार ही परीविक्षा अवधि में नियमानुसार कटौतियॉ की जा सकेगी।
5. परीविक्षा काल (Probation-Period) में इन्हे कोई वार्षिक वेतनवृद्वि देय नहीं होगी। परीविक्षा/प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों के प्रवर्तनीय आदेशानुरूप देय होगें।
6. उक्त नियुक्तियॉ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अनुक्रमिक शासित होगी एंव इन पर समय समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।
7. अभ्यर्थियों को परिविक्षा अवधि में प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। नियुक्ति कलेण्डर वर्ष के मध्य में होने से आनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश देय होगा।
8. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

31/03

9. चयनित अभ्यार्थियों को दो वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर नियमानुसार पुनरक्षित वेतन नियम 2017 की अनूसूचि 1(पार्ट–1)नियम–5 (V) के अनुसार पे– मेट्रिक्स में पे–लेवल (एल–11) में नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते स्वीकृत किये जावेगे।

10. चयनित अभ्यार्थियों के आदेश जारी होने की तिथि से 07 दिवस में आवश्यक रूप से उनके नाम के सामने अंकित सम्बन्धित सहायक निदेशक अभियोजन कार्यालय में उपस्थिति देंगे। उपस्थिति के समय मेडिकल ज्यूरिष्ट/सीएम एण्ड एच ओ से स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही उपस्थिति मान्य होगी। अभ्यार्थी नियुक्त के समय संबंधित सहायक निदेशक अभियोजन के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि उनके संबंध में प्राप्त पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के पश्चात् पद ग्रहण करने की तिथि तक उनके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। उपरोक्त नवनियुक्त वे सेवा सम्बन्धी किसी प्रकार की निरर्हता से ग्रसित नहीं है।

निम्न अभ्यर्थी अपने 10 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु निम्न कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करावें:–

क्र. स.	मेरिट नं.	नाम अभ्यर्थी मय पता	वर्ग	जन्म दिनांक	गृह जिला	प्रशिक्षण कार्यालय
1.	R-14	श्री मोहम्मद सैफ कलाम पुत्र श्री मोहम्मद अकरम, तहसिल के पास गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर।	GEN	02.09.1980	सवाई माधोपुर	सहायक निदेशक अभियोजन, सवाईमाधोपुर
2.	R-15	श्री यादवेन्द्र सिंह पुत्र श्री योगेन्द्र सिंह, प्लॉट नं. 8 शुक विहार कॉलोनी मुरलीपुरा, भवंर विलास पैलेस के पास, मंडरायल रोड–करौली, राजस्थान।	GEN	18.08.1984	करौली	सहायक निदेशक अभियोजन, करौली
3.	R-16	श्री योगेन्द्र पाठक पुत्र श्री भगवान सहाय पाठक, रुप कालोनी, नये अस्पताल के पीछे, मोहन नगर, हिण्डौन सिटी, करौली।	GEN	05.08.1980	करौली	सहायक निदेशक अभियोजन, करौली
4.	R-36	श्रीमती शिखा शर्मा पत्नी श्री रितेश तिवारी मकान नं. के–8, राम मन्दिर के पास, जवाहर नगर, कोटा, राजस्थान।	GEN	22.05.1979	कोटा	सहायक निदेशक अभियोजन, कोटा
5.	R-88	श्रीमती ईलाश्री योगी पत्नी श्री नरेन्द्र कुमार योगी, शिव कालोनी प्रिंस स्कूल के पास पालवास रोड सीकर।	OBC	17.08.1988	सीकर	सहायक निदेशक अभियोजन, सीकर

21/03

6.	R-101	श्री घनश्याम खटीक पुत्र श्री प्रताप खटीक , मु.पों. कोदूकोटा, तहसील व जिला – भीलवाडा।	SC	05.06.1976	भीलवाडा	सहायक निदेशक अभियोजन, भीलवाडा
7.	R-102	श्री विनोद कुमार गोदरा पुत्र श्री सोहन लाल गोदरा म.न. 1286/26 भगवान गंज अजमेर।	SC	10.05.1978	अजमेर	सहायक निदेशक अभियोजन, अजमेर
8.	R-124	श्रीमती हेमलता पत्नी श्री दिनेश कुमार मंगल 26 शिवाजी नगर, सिविल लाईन्स, जयपुर।	SC	14.03.1973	जयपुर	सहायक निदेशक अभियोजन, जयपुर द्वितीय
9.	R-129	श्री दारासिंह पुत्र श्री देवीलाल भील , राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विघालय के पिछे , नई आबादी असनावर, जिला– झालावाड।	ST	18.07.1981	झालावाड	सहायक निदेशक अभियोजन, झालावाड

आज्ञा से,

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

01.प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, (गृह) राजस्थान।
02.विशिष्ट सहायक, माननीय गृह राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
03.सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
04.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह।
05.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
06.निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि) विभाग।
07.समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान, मुख्यालय सहित।
08.सम्बन्धित नवनियुक्त सहायक अभियोजन अधिकारी, (रजिस्टर्ड डाक द्वारा)
09.निजी पत्रावली / समस्त शाखा, अभियोजन निदेशालय/
10.रक्षित पत्रावली।

31/03/23

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।